अनुबंध - क / Annexure - A

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023

Insurance Regulatory and Development Authority of India
(Remuneration of Non-Executive Directors of Insurers) Guidelines, 2023

1. पृष्ठभूमि:

i. कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक, बोर्ड के स्वतंत्र कार्यचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बोर्ड द्वारा निर्णयन में वे बाह्य और अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वस्तुनिष्ठ निर्णय को प्रोत्साहित करते हुए वे नेतृत्व और रणनीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे व्यवसाय के संचालन, अभिशासन और बोर्ड कक्ष की सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के संबंध में एक स्वतंत्र दृष्टि उपलब्ध कराते हैं। वे समूह के अभिशासन की प्रणाली तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम वहन-क्षमता के अंदर अपनी कार्यनीति के कार्यान्वयन में प्रबंधन की निगरानी करते हैं और निर्माणात्मक रूप से चुनौती देते हैं।

ii. बोर्ड और समिति की बैठकों में गैर-कार्यकारी निदेशकों की सहभागिता के संबंध में बढ़ी हुई अपेक्षाओं तथा कॉरपोरेट अभिशासन में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तर के हित में वहन किये जाने के लिए उनसे प्रत्याशित उच्चतर दायित्वों को ध्यान में रखते हुए एवं व्यावसायिक गैर-कार्यकारी निदेशकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाये रखने के लिए बीमा कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे निदेशकों की उपयुक्त रूप में क्षतिपूर्ति की जाए।

2. प्रयोज्यता:

i. ये दिशानिर्देश निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू होंगे।

ii. बीमाकर्ता इन दिशानिर्देशों के आधार पर पारिश्रमिक नीति बनाने / उसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों के निर्गम से 3 महीने के अंदर पूरा करेगा।

3. पारिश्रमिक नीति:

i. निदेशक बोर्ड को चाहिए कि वह अपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ परामर्श करने के बाद गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए एक व्यापक पारिश्रमिक नीति बनाये और उसका अंगीकरण करे। ऐसी नीति बनाते समय, बोर्ड समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

ii. बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त पारिश्रमिक नीति की संरचना, कार्यान्वयन और समीक्षा करने में निर्णयन प्रक्रिया हितों के संघर्षों की पहचान करे और उनका प्रबंध करे तथा इसे उचित रूप से प्रलेखीकृत किया जाए। बोर्ड के सदस्यों को पारिश्रमिक संबंधी निर्णयों के संबंध में वास्तविक अथवा अनुभूत हितों के संघर्षों की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए।

iii. तथापि, कुल पारिश्रमिक प्रत्येक गैर-कार्यकारी निदेशक के लिए बीस लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। यदि कंपनी का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, तो पारिश्रमिक का निर्णय

बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा लिया जाएगा तथा पारिश्रमिक नीति में उसे अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक और प्रोत्साहनों का विवरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

iv. गैर-कार्यकारी निदेशक किन्हीं ईक्विटी-संबद्ध लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. <u>बैठक शुल्क और व्ययों की प्रतिपूर्ति:</u>

ऊपर पैरा 2 (iii) में उल्लिखित निदेशकों के पारिश्रमिक के अतिरिक्त, बीमाकर्ता गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) का भुगतान कर सकता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन के अधीन, बोर्ड की बैठकों और अन्य बैठकों में सहभागिता के लिए उनके व्ययों की प्रतिपूर्ति कर सकता है।

5. <u>गैर-कार्यकारी निदेशकों की आयु-सीमा और कार्यकाल:</u>

i. बोर्ड के अध्यक्ष सहित, गैर-कार्यकारी निदेशकों की अधिकतम आयु-सीमा 75 वर्ष होगी तथा 75 वर्ष की आयु के होने के बाद कोई भी व्यक्ति बीमाकर्ता के बोर्ड में जारी नहीं रहेगा।

बशर्ते कि उन मामलों में जहाँ इन दिशानिर्देशों की तारीख की स्थिति के अनुसार अध्यक्ष / गैर-कार्यकारी निदेशक 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वहाँ ऐसे बीमाकर्ता ऐसे अध्यक्ष / गैर-कार्यकारी निदेशक के स्थान पर नये पदधारी को एक वर्ष की अवधि के अंदर नियुक्त करेंगे।

ii. एक स्वतंत्र निदेशक को बीमाकर्ता के बोर्ड में पाँच निरंतर वर्षों तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, तथा बीमाकर्ता द्वारा एक विशेष संकल्प पारित करने पर वह दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा। कोई भी स्वतंत्र निदेशक 10 वर्ष की अवधि के बाद, दो निरंतर अवधियों से अधिक के लिए पद धारित नहीं करेगा। 10 वर्ष पूरे करने के उपरांत ऐसा स्वतंत्र निदेशक कम से कम तीन वर्ष की विराम अवधि (कूलिंग आफ़ पीरियड) के बाद ही पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: इन दिशानिर्देशों के निर्गम की तारीख की स्थिति के अनुसार बीमाकर्ताओं के बोर्ड में स्थित स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल को हिसाब में लिया जाएगा। यदि कोई निदेशक इन दिशानिर्देशों के निर्गम की तारीख को दस वर्ष की अवधि पूरी कर चुका हो, तो ऐसे बीमाकर्ता ऐसे निदेशक (कों) के स्थान पर नये पदधारी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के अंदर करेंगे।

6. <u>प्रकटीकरण:</u>

बीमाकर्ता प्रत्येक गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों को अदा की गई पारिश्रमिक राशि का प्रकटीकरण वार्षिक वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले लेखों की टिप्पणियों में करेंगे। यदि किसी वर्ष के दौरान कोई भी पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया हो, तो यह विशिष्ट रूप से प्रकट किया जाएगा।

अनुबंध - ख / Annexure - B

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमाकर्ताओं के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023

Insurance Regulatory and Development Authority of India
(Remuneration of Key Managerial Persons of Insurers) Guidelines, 2023

1. प्रयोज्यता:

i. ये दिशानिर्देश निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) को देय पारिश्रमिक के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू होंगे।

ii. बीमाकर्ता को इन दिशानिर्देशों पर आधारित पारिश्रमिक नीति तैयार करने / उसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों के निर्गम से 3 महीने के अंदर पुरा करना होगा।

2. परिभाषाएँ:

i. "पारिश्रमिक" का अर्थ है उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए केएमपी को दिया गया या पारित किया गया कोई धनराशि या उसकी समतुल्य राशि अभिप्रेत है; तथा इसमें आय-कर अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित परिलब्धियाँ शामिल हैं।

ii. “प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति” से आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 में परिभाषित रूप मे अभिप्रेत है।

iii. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए शेयर सहबद्ध लिखतों से अभिप्रेत है (i) कर्मचारी शेयर विकल्प योजनाएँ; (ii) कर्मचारी शेयर क्रय योजनाएँ; और (iii) शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार योजनाएँ।

3. पारिश्रमिक नीति:

i. बीमाकर्ता सभी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक पारिश्रमिक नीति बनाएँगे और उसे अपनाएँगे। यह नीति प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को अपने कार्यनिष्पादन आधारित परिवर्ती पारिश्रमिक के लिए अनुपयुक्त अथवा अत्यधिक जोखिम नहीं उठायेंगे। बोर्ड यह सुनिश्चित और प्रलेखीकृत करेगा कि पारिश्रमिक नीति की संरचना बनाने, उसे कार्यान्वित करने और उसकी समीक्षा करने में निर्णयन प्रक्रिया हितों के संघर्षों की पहचान करेगी और उनका समाधान करेगी। बोर्ड के सदस्य पारिश्रमिक संबंधी निर्णयों के संबंध में वास्तविक अथवा अनुभव किये गये हितों के संघर्षों की स्थिति में नहीं रखे जाएँगे।

ii. उक्त नीति पारिश्रमिक संरचना के सभी पहलुओं को समाविष्ट करे जैसे नियत वेतन जिसमें भत्ते, परिलब्धियाँ, सेवानिवृत्ति लाभ, आदि शामिल हैं, परिवर्ती वेतन जिसमें

प्रोत्साहन, बोनस, शेयर सहबद्ध लिखत, आदि शामिल हैं, संबद्ध होने / नाम लिखने का बोनस आदि शामिल हैं। पारिश्रमिक नीति के सभी ब्योरे एक एकल दस्तावेज में शामिल किये जाएंगे। पारिश्रमिक नीति की समीक्षा नामांकन और समीक्षा समिति के द्वारा वार्षिक तौर पर की जाएगी।

iii. बीमाकर्ता की नामांकन और पारिश्रमिक समिति जोखिम प्रबंधन समिति के परामर्श से पारिश्रमिक नीति के निर्माण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए समन्वित प्रयास करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि,

क. पारिश्रमिक का समायोजन सभी प्रकार के जोखिम के लिए किया जाए,
ख. पारिश्रमिक के परिणाम जोखिम परिणामों के साथ संतुलित हों,
ग. पारिश्रमिक संबंधी भुगतान जोखिम की समय-सीमा के प्रति संवेदनशील हों, तथा
घ. नगदी, ईक्विटी और पारिश्रमिक के अन्य प्रकार, जोखिम के सुयोजन के साथ सुसंगत हों।

iv. जोखिम समायोजन में बीमाकर्ताओं द्वारा ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों के उपायों की एक व्यापक विविधता का उपयोग किया जा सकता है। उक्त जोखिम समायोजित पद्धतियों में अधिमानतः दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक तत्व होंगे।

v. परिवर्ती वेतन अथवा प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए सभी केएमपी के कार्यनिष्पादन के निर्धारण के लिए जिन न्यूनतम मानदंड को ध्यान में रखा जाएगा वे हैं:

क. समग्र वित्तीय सुदृढ़ता जैसे निवल मालियत (नेट वर्थ) की स्थिति, शोधन-क्षमता, एयूएम में वृद्धि, निवल लाभ, आदि;
ख. प्रबंध व्यय विनियमों का अनुपालन;
ग. निपटान और बकाये के तौर पर दावा कुशलता;
घ. शिकायत निवारण स्थिति में सुधार;
ङ. पालिसीधारकों की अदावी राशियों में कमी;
च. 37वें महीने से 61वें महीने तक निरंतरता (जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में); गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में नवीकरण दर; तथा
छ. सभी लागू कानूनों के संदर्भ में समग्र अनुपालन की स्थिति।

उपर्युक्त मानदंडों में वैयक्तिक तौर पर एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी के कार्यनिष्पादन निर्धारण सम्पुटक (मैट्रिक्स) में कुल भारांकों का कम से कम 60%; तथा अन्य केएमपी के कार्य निष्पादन निर्धारण सम्पुटक (मैट्रिक्स) में कुल भारांकों का कम से कम 30% होगा। उक्त प्रत्येक मानदंड के लिए भारांक का संरूपण (कान्फिगरेशन) एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी तथा अन्य केएमपी के लिए उनकी संबंधित भूमिकाओँ के आधार पर उपयुक्त रूप में किया जा सकता है। बीमाकर्ता अतिरिक्त मानदंड भी परिभाषित कर सकते हैं जो बीमाकर्ता की व्यवसाय योजना के अनुरूप होगा। इन मापदंडों का उल्लेख पारिश्रमिक नीति में स्पष्ट रूप से सूचित किये जाएँगे।

vi. प्रोत्साहनों और परिवर्ती वेतन के भुगतान के लिए कार्यनिष्पादन के निर्धारण के अलावा, ये मानदंड नियत वेतन के संशोधन के लिए भी आधार बनेंगे।

4. <u>वार्षिक पारिश्रमिक:</u>

वार्षिक पारिश्रमिक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए नियत वेतन (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक परिलब्धियों सहित) तथा परिवर्ती वेतन का कुल जोड़ होगा।

5. <u>नियत वेतन:</u>

बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि सांविधिक अपेक्षाओं के पालन सहित सभी संबंधित तत्वों का ध्यान रखते हुए पारिश्रमिक का नियत अंश उचित हो। नियत वेतन में मूल वेतन, भत्ते, परिलब्धियाँ, अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की सभी अन्य नियत मदें शामिल होंगी।

6. <u>परिवर्ती वेतन:</u>

i. परिवर्ती वेतन नकदी और/या शेयर सहबद्ध लिखतों के रूप में होगा। सभी शेयर सहबद्ध लाभ जहाँ अंतिम भुगतान नकदी के रूप में है, जैसे नकदी-सहबद्ध शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार (सीएसएआर), अवास्तविक स्टाक (फैंटम स्टाक) आदि, वहाँ उन्हें नकदी लाभ के रूप में माना जाएगा।

ii. परिवर्ती वेतन में प्रोत्साहन, बोनस, शेयर सहबद्ध लिखतें आदि शामिल हैं। परिवर्ती वेतन व्यक्ति, यूनिट अथवा समूह के कार्यनिष्पादन के मापदंडों का उपयोग करते हुए कार्य निष्पादन पर आधारित होगा जिनसे अनुचित जोखिम ग्रहण के लिए प्रोत्साहनों का निर्माण नहीं किया जाएगा। कार्यनिष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और जोखिमों की समय-सीमा के साथ सुयोजित किये जाने होंगे, जिनके प्रति बीमाकर्ता अरक्षित हो सकता है। किसी भी परिवर्ती वेतन अथवा कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान / प्रदान किसी केएमपी को एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल एक बार ही किया जाएगा।

iii. परिवर्ती वेतन तदनुरूपी अवधि के लिए नियत वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए तथा नियत वेतन के 300% से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% तक है, वहाँ परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50% गैर-नकदी लिखतों के माध्यम से होना चाहिए। यही 70% होगा, यदि परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% से अधिक हो।

iv. कुल परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50% अनिवार्यतः आस्थगन व्यवस्थाओं के अधीन होना चाहिए तथा आस्थगन अवधि न्यूनतम तीन वर्ष होगी। इस प्रकार का प्रथम निधान (वेस्टिंग) आस्थगन अवधि के प्रारंभ से एक वर्ष के बाद उपचित होगा। निधान `एक आनुपातिक आधार पर' की तुलना में अधिक तेज नहीं होगा तथा यथार्थ समायोजनों को लागू करने से पहले जोखिमों का एक उचित निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए `एक वार्षिक आधार पर' की तुलना में अधिक बारंबारता के साथ घटित नहीं होना चाहिए।

किसी विशिष्ट वर्ष के लिए रु. पच्चीस लाख तक की राशि के लिए परिवर्ती वेतन के किसी आस्थगन की आवश्यकता नहीं होगी।

v. असूचीबद्ध बीमाकर्ता के मामले में, सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी 1 व्यापारी बैंकर द्वारा प्रमाणित ईक्विटी शेयर के उचित मूल्य पर लाभ के परिकलन के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा। जो बीमाकर्ता सूचीबद्ध नहीं है, वह अपनी सूचीबद्ध प्रवर्तक कंपनी के लिए ईएसओपी जारी कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी लागत केवल संबंधित बीमाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

vi. किसी असूचीबद्ध बीमाकर्ता के मामले में, एक वर्ष में प्रदान किये गये ईएसओपीएस की कुल संख्या बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक नहीं होगी। किसी भी समय पर जारी किये गये, प्रदान किये गये, निहित किये गये अथवा बकाया ईएसओपीएस की कुल संख्या किसी बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के 5% से अधिक नहीं होगी।

vii. सूचीबद्ध बीमाकर्ता के मामले में, शेयर-सहबद्ध लिखतें प्रदान की तारीख को उचित रूप से मूल्यांकित की जाएगी। शेयर-सहबद्ध लिखतों के प्रदान, मूल्यांकन और प्रकटीकरणों के मानदंड बीमाकर्ताओं द्वारा संबंधित सांविधिक उपबंधों और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाये जाएंगे तथा ये बीमाकर्ता की पारिश्रमिक नीति का भाग बनेंगे।

viii. बीमाकर्ताओं के केएंमपी को कोई श्रम-जन्य ईक्विटी शेयर जारी/प्रदान नहीं किये जाएँगे।

ix. बीमाकर्ता के वित्तीय कार्यनिष्पादन और पारिश्रमिक नीति के अनुसार अन्य परिभाषित मानदंडों में गिरावट से परिवर्ती पारिश्रमिक की कुल राशि में संकुचन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा जो शून्य तक भी घट सकती है।

x. आस्थगित अवधि से पहले केएमपी की सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / मृत्यु होने की स्थिति में आस्थगित वेतन का भुगतान बीमाकर्ता और केएमपी के बीच सहमति-प्राप्त रोजगार संविदा के अनुसार किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय देय आस्थगित वेतन (अर्थात् पुनर्नियुक्ति से पहले) का भुगतान केवल संबंधित वर्षों में हीं किया जाएगा जिसके संबंध में वह मूल रूप से आस्थगित है।

xi. न्यायालय / न्यायाधिकरण / अन्य सक्षम प्राधिकारियों के निदेशों के अनुसार सेवाओं की समाप्ति की स्थिति में, अथवा धोखाधड़ी / दंड्य अपराधों आदि की दशा में बीमाकर्ता द्वारा सेवासमाप्ति की स्थिति में आस्थगित वेतन जब्त किया जाएगा।

7. <u>मैलस और क्ला-बैकः</u>

i. परिवर्ती वेतन मालस (मैलस) और कराधान द्वारा भरपाई (क्लाबैक) संबंधी उपबंधों के अधीन होगा तथा ये उपबंध भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक नीति का भाग बनेगें। आस्थगित पारिश्रमिक की स्थिति में, परिभाषित मानदंडों में और/या निधान (वेस्टिंग) अवधि के दौरान किसी वर्ष में व्यवसाय की संबंधित व्यवस्था में कोई नकारात्मक प्रवृत्ति होने की स्थिति में आस्थगित परिवर्ती वेतन के अनिहित / अदत्त अंश निर्धारण के अनुसार कम किये जाएँगे अथवा निरस्त किये जाएँगे। तथापि, ऐसे उपबंधों का प्रयोग करते समय बीमाकर्ता के वास्तविक / प्राप्त कार्यनिष्पादन का उचित ध्यान रखा जाए।

ii. एक मैलस व्यवस्था बीमाकर्ता को आस्थगित पारिश्रमिक की राशि पूर्णतः अथवा अंशतः निहित करने से रोकने की अनुमति देती है। मैलस व्यवस्था निधान (वेस्टिंग) के घटित होने के बाद निधान का प्रतिवर्तन (रिवर्सल) नहीं करती। दूसरी ओर, क्लाबैक केएमपी और बीमाकर्ता के बीच एक संविदागत करार है जिसमें केएमपी कुछ परिस्थितियों में बीमाकर्ता को पूर्व में अदा किये गये अथवा निहित पारिश्रमिक लौटाने के लिए सहमति देता है।

iii. बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे यथाप्रयोज्य रूप में संबंधित सांविधिक और विनियामक शर्तों का ध्यान रखते हुए, परिवर्ती वेतन के संबंध में मैलस / क्ला-बैक व्यवस्था समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त पद्धतियाँ लागू करें। बीमाकर्ता की पारिश्रमिक नीति को नियोजन संविदा में मैलस और क्ला-बैक खंडों की विद्यमानता की पुष्टि करनी होगी तथा उसे स्थितियों के एक प्रतिनिधि सेट की पहचान करनी होगी जो बीमाकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे मैलस और क्लाबैक खंडों को लागू करें जो समस्त परिवर्ती वेतन के लिए लागू किये जा सकें। मैलस और क्ला-बैक की प्रयोज्यता के लिए मानदंड निर्धारित करते समय बीमाकर्ता एक अवधि भी निर्धारित करेंगे जिसके दौरान मैलस अथवा क्ला-बैक को लागू किया जा सके, जिसमें कम से कम आस्थगन अवधि, घोर उपेक्षा, सत्यनिष्ठा का उल्लंघन, केएमपी द्वारा कारपोरेट अभिशासन और विनियामक विषयों, आदि के संबंध में धोखाधड़ी, खराब अनुपालन सहित कदाचार के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण रूप से गलत वित्तीय विवरण सम्मिलित किये जाएँ। इस संबंध में बोर्ड और प्रबंधक-वर्ग द्वारा तत्काल और तत्परतापूर्ण कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी।

iv. कानूनी प्रवर्तनीयता के लिए, उक्त मैलस और क्ला-बैक प्रणाली का नियंत्रण जोखिम परिणामों के संप्रेक्षणीय और सत्यापनीय उपायों के द्वारा किया जाएगा। बीमाकर्ता सभी केएमपी की नियोजन संविदाओं में, परिभाषित मानदंडों के साथ सहबद्ध परिवर्ती वेतन के संबंध में मैलस और क्ला-बैक उपबंधों को समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था लागू करेंगे।

8. <u>एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी की आयु और कार्यकाल:</u>

i. समय-समय पर अपेक्षित सांविधिक अनुमोदनों के अधीन, एमडी और सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी का पद एक ही पदधारी के द्वारा 15 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए धारित नहीं किया जाएगा। उसके बाद, व्यक्ति उसी बीमाकर्ता के पास एमडी और सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अन्य लागू शर्तें पूरी करने के अधीन, कम से कम एक वर्ष की विराम (कूलिंग आफ़) अवधि के बाद, बोर्ड द्वारा आवश्यक और वांछनीय समझे जाने की स्थिति में पात्र होगा।

ii. कोई भी व्यक्ति किसी बीमाकर्ता के पास एमडी और सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी के रूप में 70 वर्ष की आयु के बाद जारी नहीं रहेगा। 70 वर्ष की समग्र सीमा के अंदर, अपनी आंतरिक नीति के भाग के रूप में, अलग-अलग बीमाकर्ताओं के बोर्ड एमडी और

सीईओ सहित, डब्ल्यूटीडी के लिए एक निम्नतर सेवानिवृत्ति आयु विनिर्दिष्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

iii. यदि एमडी और सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी जो किसी प्रवर्तक / प्रमुख शेयरधारक द्वारा नियुक्त किया गया है, तो वह 12 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए उपर्युक्त पद धारित नहीं करेगा/नहीं करेगी। तथापि, प्राधिकरण इसके लिए पर्याप्त कारण देते हुए संबंधित बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन पर, ऐसे एमडी और सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी को 15 वर्ष तक पद धारण करने के लिए अनुमति दे सकता है।

iv. कोई भी प्रवर्तक / शेयरधारक बीमाकर्ता में कोई भी पूर्णकालिक पद धारित नहीं कर सकता। तथापि, यह शर्त उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहाँ कर्मचारी नियोजन के दौरान ईएसओपीएस के माध्यम से प्राप्त शेयरों के कारण शेयरधारक बन जाता है।

v. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए, इन दिशानिर्देशों के निर्गम की तारीख को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता के एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि कोई निदेशक बारह वर्ष / पन्द्रह वर्ष, जैसी स्थिति हो, की अवधि पूरी कर चुका है, तो ऐसे बीमाकर्ता ऐसे निदेशक(कों) के स्थान पर इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से नये पदधारी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के अंदर करेंगे।

9. <u>गारंटीकृत बोनस, संबद्ध होने (ज्वाइनिंग) / नाम लिखने (साइन आन) का बोनस और पृथक्करण वेतन:</u>

i. गारंटीकृत बोनस सुदृढ़ जोखिम प्रबंध अथवा कार्यनिष्पादन सिद्धांतों के लिए वेतन के साथ असंगत हैं, तथा इस कारण से ये पारिश्रमिक नीति का भाग नहीं बनेगें ।

ii. संबद्ध होने / नाम लिखने का बोनस केवल नये कर्मियों को किराये पर लेने (हाइरिंग) के संदर्भ में घटित होगा तथा नियोजन के प्रथम वर्ष तक सीमित होगा। इस प्रकार के बोनस को न तो नियत वेतन का भाग माना जाएगा और न ही परिवर्ती वेतन का भाग।

iii. बीमाकर्ताओं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को उपदान (ग्रैच्युटी), पेंशन, आदि जैसे उपचित लाभों को छोड़कर अन्य पृथक्करण वेतन प्रदान नही करेंगे, उन मामलों को छोड़कर जहाँ यह संविधि के किसी लागू उपबंध के अंतर्गत अनिवार्य (मैंडेटरी) हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि पृथक्करण वेतन में नोटिस अवधि का वेतन शामिल नहीं है।

10. <u>प्रकटीकरण:</u>

वार्षिक रिपोर्ट का भाग बननेवाली लेखों की टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) हैं।

i. <u>गुणात्मक प्रकटीकरण</u>

क. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और अधिदेश (मैंडेट) से संबंधित सूचना।

ख. पारिश्रमिक नीति के अभिकल्प और संरचना तथा पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्य से संबंधित सूचना।

ग. उन तरीकों का वर्णन जिनमें वर्तमान और भावी जोखिमों का ध्यान पारिश्रमिक नीति में रखा जाता है। इसमें इन जोखिमों को हिसाब में लेने के लिए प्रयुक्त मुख्य उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल किया जाएगा।

घ. उन तरीकों का वर्णन जिनमें बीमाकर्ता पारिश्रमिक के स्तरों के साथ एक कार्यनिष्पादन मापन अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को संबद्ध करने की अपेक्षा करता है।

ii. <u>मात्रात्मक प्रकटीकरण</u>

क. एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी को वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किये गये पारिश्रमिक का पूरा विवरण इसमें वेतन, भत्तों और परिलब्धियों, परिवर्ती वेतन जिसमें शेयर-सहबद्ध लाभ, संबद्ध होने / नाम लिखने का बोनस, उपदान (ग्रैच्युटी), पेंशन, यदि कोई हो, आदि का उल्लेख करते हुए दिया जाएगा, तथा इनका वर्गीकरण नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित, जैसा लागू हो, के अंतर्गत किया जाएगा। पारिश्रमिक राजस्व लेखा (पालिसीधारक लेखा) तथा लाभ और हानि लेखा (शेयरधारकों लेखा) में नामे डाला जाएगा। लेखों की टिप्पणी में प्रकटीकरण दिये गये फार्मेट (अनुबंध I) के अनुसार किया जाएगा।

ख. वित्तीय वर्ष के अंत में एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी के बकाया आस्थगित पारिश्रमिक का विवरण जिसमें नाम, पदनाम, वित्तीय वर्ष (जिससे पारिश्रमिक संबंधित हो), पारिश्रमिक का स्वरूप और बकाया राशि का उल्लेख किया जाएगा। यह प्रकटीकरण दिये गये फार्मेट (अनुबंध II) के अनुसार किया जाएगा।

बीमाकर्ताओं को कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों / दिशानिर्देशों, जैसा लागू हो, में निर्दिष्ट अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

11. <u>लेखांकन:</u>

i. यदि एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी और अन्य केएमपी का वार्षिक पारिश्रमिक अलग-अलग रूप से रु. 4 करोड़ से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य शेयर धारकों के द्वारा वहन किया जाएगा तथा लाभ और हानि लेखे में नामे डाला जाएगा।

ii. रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के आस्थगित पारिश्रमिक के संबंध में संबंधित लेखा-बहियों में देयता निर्मित की जानी होंगी।

iii. पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित आस्थगित और रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में अदा किये गये पारिश्रमिक को राजस्व लेखा / लाभ और हानि लेखा में नामे नहीं डाला जाएगा क्योंकि इसका समायोजन वर्ष के प्रारंभ में लेखा-बहियों में बकाया देयता के साथ किया जाएगा।

iv. आस्थगित वेतन के समपहरण (फारफीचर) की स्थिति में तदनुरूपी बकाया देयता को तदनुसार घटाया जाएगा।

v. पूर्व में अदा किये गये पारिश्रमिक की वसूली, यदि कोई हो, की स्थिति में, इसे राजस्व लेखा / लाभ और हानि लेखा, जैसी स्थिति हो, में जमा किया जाएगा।

12. अपेक्षित अतिरिक्त सूचना:

निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना आईआरडीएआई को वार्षिक आधार पर निर्धारित फार्मटों में अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

i. प्रत्येक केएमपी को प्रदान किये गये पारिश्रमिक का पूरा विवरण - वेतन, भत्तों और परिलब्धियों, शेयर-सहबद्ध लाभों सहित परिवर्ती वेतन, सम्मिलित होने / नाम दर्ज करने का (साइन आन) बोनस, उपदान, पेंशन, यदि कोई हो, आदि का उल्लेख करते हुए इन्हें जैसा लागू हो, नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित के रूप में वर्गीकृत करते हुए, राजस्व लेखे (पालिसीधारकों का खाता) तथा लाभ-हानि लेखे (शेयरधारकों का खाता) में नामे डाले गये पारिश्रमिक का पूरा विवरण अनुबंध I में।

ii. वित्तीय वर्ष के अंत में केएमपी को बकाया आस्थगित पारिश्रमिक का विवरण नाम, पदनाम, वित्तीय वर्ष (जिससे पारिश्रमिक संबंधित हो), पारिश्रमिक का स्वरूप तथा बकाया राशि का उल्लेख करते हुए विवरण अनुबंध II में।

iii. नियोजन के मैलस और कराधान के द्वारा भरपाई (क्ला-बैक) प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी / केएमपीएस के घटाये गये / निरस्त किये गये / वसूल किये गये पारिश्रमिक का पूरा विवरण नाम, पदनाम, मूल वेतन के स्वरूप, घटाई गई / निरस्त की गई / वसूल की गई राशि का तथा इसके लिए कारण का उल्लेख करते हुए। उक्त प्रकटीकरण अनुबंध III में दिये गये फार्मेट के अनुसार किया जाएगा।

iv. उक्त फार्मेटों (अनुबंध I से अनुबंध III तक) का प्रमाणीकरण बीमाकर्ता के सीएफओ द्वारा किया जाएगा।

13. पारिश्रमिक का अनुमोदन और नवीकरण:

i. एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडीएस के पारिश्रमिक में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति अथवा आशोधन, यदि कोई हो, के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34ए के अनुसार प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

ii. एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी के पारिश्रमिक के संबंध में, पूर्व के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले आईआरडीएआई द्वारा किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी / केएमपी को प्रदत्त पारिश्रमिक की लागत केवल संबंधित बीमाकर्ता के द्वारा ही वहन की जाएगी।

अनुबंध / Annexure - I

एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी को वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किया गया पारिश्रमिक और अन्य भुगतान
Remuneration and other payments made during the Financial Year to MD/CEO/WTD

(राशि लाख रूपये में) / (Amount in Rs. Lakhs)

क्रं. सं. Sl. No.	एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी का नाम Name of the MD/CEO/ WTD	पदनाम Designation	नियत वेतन Fixed Pay			परिवर्ती वेतन Variable Pay						नियत और परिवर्ती वेतन का कुल जोड़ (ग)+(च) Total of Fixed and Variable Pay (c)+(f)	राजस्व लेखे में नामे डाली गई राशि Amount Debited to Revenue A/c	लाभ- हानि लेखे में नामे डाली गई राशि Amount Debited to Profit and Loss A/c	सम्मिलित होने / नाम दर्ज करने (साइन आन) के बोनस का मूल्य Value of Joining / Sign on Bonus	वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवा-निवृत्ति लाभ, जैसे उपदान, पेंशन आदि Retirement benefits like gratuity, pension, etc. paid during the year	पिछले वर्षों में आस्थगित/ वर्ष के दौरान अदा/ निपटान किये गये पारिश्रमिक की राशि Amount of deferred remuneration of earlier years paid/settled during the year
			वेतन और भत्ते (क) Pay and Allowances (a)	परि-लब्धियाँ, आदि (ख) Perquisites, etc. (b)	कुल (ग) = (क)+(ख) Total (c) = (a)+(b)	नकदी घटक (घ) Cash components (d)		गैर- नकदी घटक (ङ) Non-cash components (e)		कुल (च) = (घ)+(ङ) Total (f) = (d)+(e)							
						भुगतान Paid	आस्थगित Deferred	निर्धारित Settled	आस्थगित Deferred	भुगतान / निर्धारित Paid / Settled	आस्थगित Deferred						
1																	
2																	
3																	
..																	
..																	
	कुल / TOTAL																

अनुबंध / Annexure - II

एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी के बकाया आस्थगित पारिश्रमिक का विवरण
Details of Outstanding Deferred Remuneration of MD/CEO/WTD

जैसा कि / as at _____

क्रं. सं. Sl. No.	एमडी/सीईओ/ डब्ल्यूटीडी का नाम Name of the MD/CEO/WTD	पदनाम Designation	पारिश्रमिक का संबंधित वित्तीय वर्ष Remuneration pertains to Financial Year	बकाया पारिश्रमिक का स्वरूप Nature of remuneration outstanding	बकाया राशि (लाख रु.) Amount Outstanding (Rs. in Lakhs)
1					
2					
3					
..					
..					
	कुल / TOTAL				

दिनांक / Date:

स्थान / Place:

सीएफओ का हस्ताक्षर
Signature of CFO

बीमाकर्ता का नाम / Name of the insurer: **दिनांक / Date:** **अनुबंध / Annexure - III**

वित्तीय वर्ष के दौरान केएमपीएस के संबंध में घटाये गये / निरस्त किये गये / वसूल किये गये पारिश्रमिक का विवरण
Details of Remuneration Reduced / Cancelled / Recovered in respect of KMPs during the Financial Year

क्रं. सं. Sl. No.	केएमपी का नाम Name of the KMP	पदनाम Designation	पारिश्रमिक का स्वरूप Nature of Remuneration	क्या घटाया गया / निरस्त किया गया / वसूल किया गया Whether Reduced / Cancelled / Recovered	घटाया गया / निरस्त किया गया / वसूल किया गया पारिश्रमिक (लाख रु.) Remuneration Reduced / Cancelled / Recovered (Rs. In Lakhs)	पारिश्रमिक के घटाव / निरसन / वसूली के लिए कारण Reason for Reduction / Cancellation / Recovery of the Remuneration
1						
2						
3						
..						
..						
..						
..						
	कुल / TOTAL					

दिनांक / Date:

स्थान / Place:

सीएफओ का हस्ताक्षर
Signature of CFO